



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10102020-222350
CG-DL-E-10102020-222350

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3117]
No. 3117]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 9, 2020/आश्विन 17, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2020/ASVINA 17, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3509(अ).— भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अधिसूचना संख्या का. आ. 4006(अ), दिनांकित 06.11.2019, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के तहत जारी, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 222 (नया रारा-61) के किमी 342.000 से किमी 444.000 तक के खंड को महाराष्ट्र राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है।

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित (जो इसके आगे “नियम” के रूप में उल्लिखित है) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 222 (नया रारा-61) के किमी 342.000 से किमी 444.000 तक (जंक्शन रारा-211 से मनवाथ [तड़बोरगांव] तक) (लंबाई 100.275) जंक्शन रारा-211 से मनवाथ [तड़बोरगांव] तक नीचे तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 5.095 किमी निवल सड़क खंड लंबाई के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर पर और 94.6218 किमी निवल सड़क खंड और 5.582 किमी (0.5582 किमी की लंबाई वाली) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाले) के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दरों के साथ प्रतिशत पर यांत्रिक वाहनों पर फीस उदगृहीत करती है तथा

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क लंबाई के लिए पथकर प्लाजाओं पर देय और संदेय होगी:-

तालिका-2			
क्रमांक	शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है	दर, जिस पर फीस संदेय है
1	किमी / चा 344.334 (रंजनी / गांधी ग्राम ताल. गवराई जिला-बीड) महाराष्ट्र।	48.00 किमी	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
2	किमी / चा 429.630 (मनवथ ग्राम जिला परभणी) महाराष्ट्र।	5.095 किमी	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
		46.6218 किमी	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित फीस प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित बाइपास संरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी संरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में संरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस संदेय होगी:-

तालिका-3			
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	संरचना की लंबाई जिस को समतुल्य सड़क की लंबाई में परिवर्तित किया जाना चाहिए (किमी में)	समतुल्य सड़क की लंबाई (किमी में)	दर, जिस पर फीस संदेय है
किमी / चा 429.630 (मनवथ ग्राम जिला परभणी) महाराष्ट्र।	0.5582	5.582	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

विवरण इस प्रकार हैं: -

	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	394.847	395.050	बड़ा पुल	0.2033
2	415.535	415.790	बड़ा पुल	0.2556
3	440.840	440.940	आरओबी	0.0993
जोड़				0.5582

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2020-21 के लिए 275.00 रु. (दो सौ पछत्तर रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-4		
संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एकमास

5. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए में विनिर्दिष्ट फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।
7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।
8. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।
9. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
10. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 427.26 करोड़ रु. है। [भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जन सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है और अंतिम पूंजीगत लागत को पृथक् रूप से अधिसूचित किया जाएगा]। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात्, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा.सं. आरओ/एमयूएम/ईपीसी-14/एनएचडीपी- IV/2013-14/टोल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2020

S.O. 3509(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 4006(E) dated 06.11.2019, issued under section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government entrusted the stretch from km 342.000 to km 444.000 of National Highway No. 222 (New NH-61) in the State of Maharashtra to the State Government of Maharashtra;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) read with rule 3 of the National Highways Fee

(Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, (hereafter referred to as the “rules”), the Central Government levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for Net road section length of 5.095 Kms and at sixty percent of the rates specified in column (2) of Table 1 for net road section length of 94.6218 kms and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 5.582 km (having length of 0.5582 Km) on the type of vehicle specified in column (1) of the Table 1 below of from Junction NH-211 to Manwath [Tadborgaon] from Km 342.000 to Km 444.000 (from Junction NH-211 to Manwath [Tadborgaon]) (Length 100.275) of National highway number 222 (New NH-61) in the state of Maharashtra and authorizes the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1	
Type of Vehicles	Base rate of fee per km for the base year 2007/2008 (in Rs.)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely:

Table 2			
Sl. No.	Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
1	Km/Ch. 344.334 (Ranjani/Gadhi Village Tal. Gevrai District-Beed) Maharashtra.	48.00 kms	60% of the base rates mentioned in the Table 1 above
2	Km/Ch. 429.630 (Manwath Village District Parbhani) Maharashtra.	5.095 kms	100% of the base rates mentioned in the Table 1 above
		46.6218 kms	60% of the base rates mentioned in the Table 1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass structure having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structure by an equivalent factor of 10:-

Table 3			
Location of Fee Plaza(chainage)	Length of structure (in Km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in Km)	Rate at which fee is payable
Km/Ch 429.630 (Manwath Village District Parbhani) Maharashtra.	0.5582	5.582	60 % of the base rates mentioned in the Table 1 above

The details are as under:-

	Chainage		Type of structure	Length (in Km)
	From Km	To Km		
1	394.847	395.050	Major Bridge	0.2033
2	415.535	415.790	Major Bridge	0.2556

3	440.840	440.940	ROB	0.0993
Total				0.5582

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non- commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 275.00(Rupees Two hundred and seventy five only) for the year 2020-21 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.
4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Table 4		
Amount Payable	Maximum number of one way journey allowed	Period of validity
One and one half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hour from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journey	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicle.
6. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the specified in sub – rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rules.
8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with Rule12 of the said rules.
9. Based on the Base Rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the sections and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.
10. The estimated Capital Cost of the Project is Rs. 427.26 Crore (The Capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc are yet to be completed and the final capital cost will notified separately.) The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F.No. RO/MUM/EPC-14/NHDP-IV/2013-14/Toll]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.